कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी

पत्रांक– / /जि0का0अधि0/विज्ञप्ति/2025–26 दिनॉक 10 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या–2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनॉक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद लखीमपुर खीरी के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत ऑगनबाडी सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रकिया के तहत विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **ऑगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–**

क0सं0	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	शहर	21	14	02	05	00
2	धौरहरा	44	24	12	08	00
3	बॉकेगंज	113	51	33	27	02
4	पसगंवॉ	99	48	26	25	00
5	निघासन	210	105	56	45	04
6	ईसानगर	113	56	32	25	00
7	बिजुआ	111	59	28	23	01
8	लखीमपुर ग्रामीण	112	55	28	27	02
9	नकहा	71	37	21	13	00
10	मितौली	92	52	25	15	00
11	बेहजम	101	50	25	25	01
12	पलिया	109	47	30	23	09
13	फूलबेहड़	43	20	11	12	00
14	कुम्भी गोला	38	20	05	15	00
15	रमियाबेहड़	54	25	16	13	00
16	मोहम्मदी	76	40	22	14	00
कुल योग		**1407**	**703**	**372**	**313**	**19**

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय बेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :–

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।
2. ऑगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
3. ऑगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी।
4. चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
5. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

Scanned with CamScanner

6. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
7. गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।
8. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
9. निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सतयापन सम्भव हो।
10. आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
11. आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होगें। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकडे/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जायेगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
12. ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 01.12.2025 होगी।

नोट :– रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(भारत प्रसाद)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
लखीमपुर खीरी

पृष्ठांकन संख्या– C-2493 /तद्दिनॉकित्।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, लखीमपुर खीरी।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखीमपुरखीरी।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सदस्यगण चयन समिति, लखीमपुर खीरी।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी को इस आशय से प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद लखीमपुर खीरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूचना/विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना अधिकारी, लखीमपुर खीरी को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञापन/विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरों पर दैनिक जागरण लखनऊ संस्करण एवं हिन्दुस्तान बरेली संस्करण समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
लखीमपुर खीरी

Scanned with CamScanner